विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश क्रमांक 259 / विउशिनिफो / इंदौर / 21

प्रकरण क्रमांक WO 495621

विषय: - अप्रेल माह 2021 से अधिक रिडिंग का बिल आने बाबत्।

श्री मंजूलाल कुशवाहा,

—परिवादी

83 / २, कशापनाक मार्ग,

उज्जैन (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.उज्जैन

—उत्तरदाता

<u>आदेश</u>

(आज दिनांक 22.11.2021 को पारित किया गया)

परिवादी उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री व्ही.के.शर्मा सहायक यंत्री उपस्थित। परिवादी का कथन :--

परिवादी का थ्री फेज 1.0 किलो वॉट क्षमता का घरेलू विद्युत कनेक्शन क्र. 3614905-MRZ19-7-N397502939 है, के माह अगस्त 2021 की 768 युनिट खपत अत्याधिक आई है, निवेदन है कि सुधारने का कष्ट करे।

परिवादी के द्वारा परिवादी के साथ मासिक विद्युत बिल माह फरवरी 2021, मार्च 2021, जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितम्बर 2021, पेमेंट रसीद रु. 172/— दि. 10.03.2021, रसीद रु. 93/— दि. 15.05.2021 एवं रसीद रु. 5682/— दि. 18. 08.2021 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है।

विपक्ष का कथन :--

1.परिवादी के खाते का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उनके यहां के बदले गयें मीटर की एंट्री नहीं होने के कारण बिल में सुधार नहीं हो पाया है। उनके खाते में आवश्यक सुधार कर रु. 4656 / — कर दिये गयें है ।

सुधार उपरांत पूर्व में जारी माह अक्टूबर 2021 के बिल रु. 8688/— रु. 4032/— का हो चुका है।

2.विपक्ष ने सुनवाई दि. 16.11.2021 को फोरम को यह भी अवगत कराया कि लॉक डाउन के बाद परिवादी के यहां संयोजित भार की तुलना में अत्याधिक खपत दर्ज हुई है, जो कि अवास्तविक है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। विपक्ष के द्वारा जवाबदावे के साथ मीटर क. 7764283 मेक विजनटेक क्षमता 5.30 रिडिंग 1095 की टेस्टिंग रिपोर्ट 29.09.2021 तथा संशोधित बिल माह अक्टूबर 2021 तथा कंसूमर रिपोर्ट माह फरवरी 2021 से माह अक्टूबर 2021 तक की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :--

परिवादी ने माह अगस्त 2021 में 768 युनिट के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करवाई है।

विपक्ष ने कथन में बताया है कि बदले गयें मीटर की एंट्री नहीं होने के कारण बिल में सुधार नहीं हो पाया। सुधार उपरांत पूर्व में जारी माह अक्टूबर 2021 का रु. 8688 / — से रु. 4032 / — का किया जा चुका है। विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट एवं बिलिंग विवरण के अवलोकन में मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट दि. 29.09.2021 में मीटर सही पाया गया है। बिलिंग विवरण माह फरवरी 2021 से माह अक्टूबर 2021 तक में माह जून 2021 के पूर्व औसत खपत 50 यूनिट प्रतिमाह तथा जून 2021 में 487,अगस्त 2021 में 768 युनिट खपत पाई गई है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि विपक्ष ने मीटर बदलने के उपरांत बदले गयें मीटर की एंट्री नहीं होने के कारण, माह अक्टूबर 2021 की राशि रु. 8688 / — से रु. 4032 / — का बिल में सुधार कर दिया है जो कि फोरम ने उचित माना है। अतः परिवादी को शेष लंबित बिल का भुगतान विपक्ष को किया जाना चाहिये। तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, नियमानुसार आसान किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा दी जानी चाहिये।तथा तत्संबंधी अधिभार भी हटाया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :--

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :--

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गयें उल्लेखानुसार, विपक्ष ने मीटर बदलने के उपरांत बदले गयें मीटर की एंट्री नहीं होने के कारण, माह अक्टूबर 2021 की राशि रु. 8688/— से रु. 4032/— का बिल में सुधार कर दिया है जो कि फोरम ने उचित माना है। अतः परिवादी को शेष लंबित बिल का भुगतान विपक्ष को किया जावे। तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, नियमानुसार आसान किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा दी जावे। तथा तत्संबंधी अधिभार भी हटाया जावे।

प्रकरण क्रमांक WO 495621

03 / म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में दिये गयें प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(एन.एस.मंडलोई), (डी.के.पुरोहित), (व्ही.के.गोयल) सदस्य सदस्य अध्यक्ष